(शेजवान) गोदाम में रखा हुआ था जिसमें मिलावट का संदेह होने पर 250ग्राम के 4 मूल पेक चटनी (शेजवान)
वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू0 240/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो
इस्तगासे के साथ संलग्न हैं–मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर,
सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता, गवाह ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही
मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर
रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ भुजिया (कान्हा ब्राण्ड)
मूल पैक पर लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–720
दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना
भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के
कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–720 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद
से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता
एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना
भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान
को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये। फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ
संलग्न है कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई
जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो
फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर स्वंय के द्वारा खाद्य
विशलेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना
भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016
/180–83 दिनांक 10.08.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस
1922/एक्ट/2016/2667 दिनांक 22.07.16 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चटनी
(शेजवान) मिसब्रान्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट इस्तगासे के साथ संलग्न है। जिसकी प्रति नवीन कटारिया
को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त
नही हुई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं
स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र कमांक 262–63 दिनांक 05.06.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा
अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ
निवेदन किया कि उक्त केस में गैर सायलान द्वारा खाद्य प्रदार्थ चटनी (शेजवान) मिसब्रान्डेड का विकय करके
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका
जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में वर्णित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया
गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर
सायल नं0 1 की ओर से वकील श्री विवेक सक्सेना द्वारा वकालत नाम प्रस्तुत कर जवाब पेश किया गया
गैर सायल नं0 2 लगायत 4 की ओर वकील श्री अरूण कुमार ढोटिया द्वारा वकलात नामा प्रस्तुत कर
जवाब पेश किया गया बहस सुनी गई बहस उपस्थित हुए–वकील गैर सायल नं0 1 द्वारा अपनी बहस में
अनुरोध किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ पेक था जो उनके द्वारा गैर सायल नं0 2 से खरीद कर बेचान
किया जा रहा था जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की गई इसलिये प्रकरण में गैर
सायल नं0 1 को बरी किया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे
सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि खाद्य प्रदार्थ चटनी
(शेजवान) मिसब्रान्डेड का विकय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित
होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी **भवानीसिंह पालावत** आर०ए०एस

प्रकरण सख्या:–40 / 17 दायरा 10.07.2017

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी......................

बनाम

1. नवीन कटारिया आ0 पारस कुमार विकेता एवं मालिक मैसर्स नवीन ट्रेडर्स बड़ा बाजार झालावाड़
2. श्री दीपक खण्डेलवाल आ0 भगवानदास मालिक मैसर्स डी0के0 एन्टरप्राइजेज आजाद मार्केट झालावाड़
3. श्री दीपक जामतानी आ0 अशोक कुमार मालिक मैसर्स दीपक सेल्स कॉरपोरेशन 62 न्यू ग्रेन मण्डी कोटा।
4. ओम प्रकाश शर्मा डायरेक्टर केपिटल फूडस प्रा0लि0 सी–16 नासिक 422010

गैर सायलान.

........जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11) / 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2–श्री विवेक सक्सेना वकील गैरसायल नं0 1
श्री अरूण कुमार ढोटिया वकील गैर सायल नं0 2,3 व 4

–: आदेश :–

दिनांक:– 09.01.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / पी.एफ.ए. / नोटिफिकेशन / 2011 / 475 दिनांक 10.08. 2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 06.06.2016 को मय टीम के नवीन ट्रेडर्स बड़ा बाजार झालावाड़ पर निरीक्षण के लिये पहूँचा वहाँ पर श्री नवीन कटारिया बहेसियत मालिक खाद्य पदार्थ चटनी (शेजवान) विकय का कार्य कर रहे थे– वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु चटनी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

सलग्न किया गया है। गैर सायलान से खाद्य प्रदार्थ चटनी (शेजवान) मिसब्रान्डेड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा खाद्य प्रदार्थ चटनी (शेजवान) मिसब्रान्डेड का विकय किया गया है।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया वकील गैर सायल नं0 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब पर भी गौर किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। गैर सायलान द्वारा खाद्य प्रदार्थ चटनी (शेजवान) मिसब्रान्डेड का विकय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैर सायलान का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ाा) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुऐ इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल नं0 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1250–1250 रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावात)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)